# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:– 418 / 2021 तारीख रजु 17.12.2021

जीसीएमएस आई0डी0:–2021 / 601

1. गुड्डी पत्नि भजन
2. माया पत्नि बाबू
3. विमला पत्नि गब्बू
4. सोमोती पत्नि कलुआ
5. गब्बू
6. भजन
7. बाबू
8. विमला पुत्री कलुआ

(5–7: पिसरान कलुआ)

जाति प्रजापत, निवासी–कटकड, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

——सायलान–08

बनाम

1. बद्री पुत्र बीरवल उम्र 70 साल
2. लल्लू पुत्र बीरवल उम्र 65 साल
3. रामस्वरूप पुत्र वीरबल उम्र 63 साल
4. रूपसिंह पुत्र बद्री उम्र 45 साल

जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर राज0

5. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी

–गैरसायलान–05

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी वकील सायलान
2. श्री शांति स्वरूप शर्मा वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांक

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि सायलान एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है. जो शामिल व सरीक रहते है तथा, अपने परिवार की आराजीयात को काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। वादी सख्या 1 ता 3 की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3439 रकवा 16 ऐयर 3441 रकवा 11 ऐयर, 3443 / 1 रकवा 30 ऐयर, 3443 / 2 रकवा 25 ऐयर कुल किता 4 कुल रकवा 82 ऐयर बांके तन ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली स्थित है. सायलान उक्त आराजी के तन्हा खातेदार टीनेन्ट है, एवं उक्त आराजीयात काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। तथा खसरा नम्बर 3391 / 1 रकवा 40 ऐयर, 3442 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested

18 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 58 ऐयर बांके तन ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली वादी संख्या 4 ता 8 की खातेदारी की भूमि है, जिससे सायलान का पूर्वज कलुआ व सायलान की माँ गुड्डी सोमोती के नाम थे जिनमें से कलुआ का देहान्त हो चुका है, विभ जिसके वारीसान मिन वादी संख्या 4 लगायत 8 उनके पुत्र, पुत्री व पत्नि है, उक्त आराजीयात का मिन सायलान के नाम विरासत का नामान्तकरण नहीं खुला है, बार–बार आवेदन पत्र देने पर भी पटवारी हल्का ने अभी तक विरासत का नामान्तकरण वादी संख्या 4 लगायत 8 के नाम नहीं खोला है इस कारण सायलान को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी पेश करना आवश्यक हुआ है। सायलान की उक्त आराजी पर काबिज है. एवं काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। गैरसायलान का सायलान की उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है, गैरसायलान ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर के निवासी है, तथा उनकी आराजीयात ग्राम फुलवाडा के तन में स्थित है, जबकि मिन सायलान की उपर वर्णित आराजीयात ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली के तन में स्थित है. सायलान व गैरसायलान के आराजीयात के मध्य में होकर करौली व सवाईमाधोपुर जिले की सीमा गुजरती है. सायलान की आराजीयात ग्राम कटकड के मेढे (सीमा) पर स्थित है।

सायलान गरीब कमजोर तबके के व्यक्ति है, सायलान की कोई राजनैतिक अप्रोच नही है, जबकि गैरसायलान झगडालू गिरोहबंद व खूंखार किस्म के व्यक्ति है, गैरसायलान राजनैतिक अप्रोच व पैसे वाले व्यक्ति है जो लठ्ठ व ताकत के बल पर माधोपुर सायलान की आराजीयात वर्णित मद नं० 3 प्रार्थनापत्र पर अतिक्रमण करना चाहते है, इन लोगो ने मेढे की जमीन पर अतिक्रमण कर मेढे के निशानात को नष्ट कर दिया है, मेढे के गढे हुये पत्थर को सोमोटी जिले की सीमा रेखा पार कर मेढे की जमीन पर अतिक्रमण कर मिन

उखाड़ कर फेंक दिया है, जिसके कारण अनावश्यक रूप से सीमा विवाद उत्पन्न कर दिया है. गैरसायलान ने अब सायलान की आराजीयात में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है. सायलान की बोई फसल को उलेटना, काटने में बाधा उत्पन्न करना, झगडा करना शुरू कर दिया है जिसके कारण सायलान का जीना हराम हो गया है. इन लोगों ने जिले की सीमा रेखा को बदल दिया है. तथा जबरन लठ्ठ के बल पर सायलान की उपर वर्णित आराजीयात में होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:06 IST
Reason: SelfAttested

नई सीमारेखा तय करना चाहते है, जिसके कारण सायलान का करीब ढाई बीघा रकवा पर अवैध कब्जा कर दबाना चाहते है. इन लोगों ने लठ्ठ व ताकत के बल पर सायलान के पडीसी काश्तकारों को भी तंग व परेशान कर रखा है, न्यायहित में मुस्तकिल पॉइंट से नापतोल की जाकर करौली व माधोपुर जिले की सीमा सायलान की आराजीयात वर्णित मद न० 3 प्रार्थनापत्र के पश्चिम दिशा की तरफ तय किया जाना न्यायोचित. व न्यायसंगत है तथा सायलान की उपर वर्णित आराजीयात की सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाया जाना भी न्यायोचित व न्यायसंगत है जिससे भविष्य में सायलान व गैरसायलान का कोई विवाद शेष न रहे तथा वादी व गैरसायलान अपने अपने लाया आराजीयात को शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त कर सके।

सायलान ने अपनी उक्त आराजीयात वर्णित मद नं0 3 विमला प्रार्थनापत्र में कुछ रकवे में सरसों व कुछ रकवे में गेहू की फसल काश्त की है, जब सायलान गेहू व सरसों की बुवाई कर रहे थे तब गैरसायलान हाथो में लाठी, डण्डा गढासी लेकर सायलान की उक्त आराजी पर आ गये एवं सायलान को गाली गलौच करते हुऐ कहने लगे कि हमारे गाँव की सीमा तुम्हारे खेतों के मध्य में होकर है. इसलिये तुम पूर्व दिशा की तरफ पीछे खिसकर खेतों में काश्त करी, यदि तुमने हमारे खेतों से सटकर जमीन काश्त की तो हम तुम्हें इतना मारेंगें, कि तुम्हें तुम्हारे गाँव वाले भी नहीं पहचान पायेंगे, सायलान ने हाथ जोडकर गैरसायलान से कहा कि आप अपने खेतो का सीमाज्ञान करवा लिजिऐ जहाँ होकर मेढा आयेगा वहाँ होकर दोनो तरफ के काश्तकार अपनी अपनी जमीन को काश्त करेंगे इस पर भी गैरसायलान राजी नहीं हुऐ एवं सायलान को गाली गलौच करते हुए काश्त में वाधा उत्पन्न करने लगे, गैरसायलान अपनी बेझा हरकतों से तब तक वाज नहीं आवेगें जब तक की उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जावेगा। इसलिये सायलान को यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पंत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान् को आदेश [illegible] निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान [illegible] कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3439 रकवा 16 ऐयर, 34[illegible] रकवा 11 ऐयर, 3443/1 रकवा 30 ऐयर, 3443/2 रकवा 25 ऐयर, खसरा नम्बर 3391/1 रकवा 40 ऐयर, 3442

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested

रकवा 18 ऐयर कुल किता 6 कुल रकवा 140 ऐयर बांके तन ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली में सायलान के हिस्से की उपयोग उपभोग, व कब्जेकाश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे। तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के हक हकूक पर कोई विपरीत प्रभाव पडे, सायलान को उसकी उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे। रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से को श्री शांति स्वरूप शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं जबाब के कई अवसर प्रदान किये गये परन्तु जबाब पेश नहीं होने की स्थिति आदेशिका दिनांक 08.10.2024 से जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 1007, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 70 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। सायलान वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि गैरसायलान् को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3439 रकवा 16 ऐयर, 3441 रकवा 11 ऐयर, 3443/1 रकवा 30 ऐयर, 3443/2 रकवा 25 ऐयर, खसरा नम्बर 3391/1 रकवा 40 ऐयर, 3442 रकवा 18 ऐयर कुल किता 6 कुल रकवा 140 ऐयर बांके तन ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली में सायलान के हिस्से की उपयोग उपभोग, व कब्जेकाश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे। तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के हक हकूक पर कोई विपरीत प्रभाव पडे, सायलान को उसकी उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे। रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने का निवेदन किया । गैरसायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 1007, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 70 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उक्त आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:06 IST
Reason: SelfAttested

के सायलान ही खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई ताल्लुक नहीं है। सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 17.12.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 3439, 3441, 3443/1, 3443/2, 3391/1, 3442 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 28/02/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/02/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested